



## **\*प्रेसनोट / सराहनीय कार्य\***

**\*(पत्रांक-265/2021 दिनांक 25.09.2021)\***

**\*दिनांक- 25.09.2021 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य\***

### **\*हारे हुए प्रधान प्रत्याशी के द्वारा निर्वाचित प्रधान की हत्या की साजिश बेनकाब, कान्द्रेक्ट किलर पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार-\***

दिनांक 24/25.09.2021 की रात्रि जनपद कुशीनगर में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक कुशीनगर सचिन्द्र पटेल के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक एपी सिंह के पर्यवेक्षण में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी खड्डा के नेतृत्व में स्वाट टीम प्रभारी व प्रभारी निरीक्षक रामकोला की संयुक्त टीम के द्वारा घेघहवा टोला नहर मोड़ टेकुआटार पर 02 बदमाशों के साथ पुलिस मुठभेड हुई।

विगत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 में गणेश तिवारी ग्राम खैरटवा थाना रामकोला प्रधान पद का प्रत्याशी था। परन्तु चुनाव में वह पराजित हो गया था और ग्राम खैरटवा के रहने वाले रामसेवक कुशवाहा ग्राम प्रधान पद पर निर्वाचित हुए थे। इसी बात से छुब्ध होकर रंजिश रखते हुए हार का बदला लेने के लिए गणेश तिवारी के द्वारा वर्तमान ग्राम प्रधान रामसेवक कुशवाहा की हत्या कराने की साजिश काफी दिनों से रची जा रही थी। गणेश तिवारी को पूर्ण विश्वास था कि रामसेवक कुशवाहा की हत्या के बाद ग्राम प्रधान का पद रिक्त हो जायेगा और पुनः निर्वाचन होगा जिसमें उसकी ग्राम प्रधान बनने की महत्वाकांक्षा पूरी हो जायेगी। इसी साजिश के क्रम में गणेश तिवारी के द्वारा दिनांक 15.09.2021 से 21.09.2021 तक अपने आप को पूर्व में पंजीकृत असंज्ञेय अपराध जैसे छोटे प्रकरण में जिला कारागार देवरिया में निरुद्ध रखा था एवं जमानत नहीं कराया था ताकि सुपारी किलर विकास सिंह के द्वारा हत्या की घटना कारित करने के बाद गणेश तिवारी के उपर कोई आरोप न लग सके।

उक्त घटना हेतु गणेश तिवारी द्वारा विकास सिंह पुत्र सतेन्द्र पाल सिंह सा0 पिपरपाती थाना लालगंज जनपद बस्ती को रामसेवक की हत्या के लिए 03 लाख रुपये की सुपारी दिया गया था। मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उक्त दोनों अपराधी वर्तमान ग्राम प्रधान रामसेवक कुशवाहा की हत्या करने हेतु जा रहे हैं इस सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस टीम तत्काल मुखबिर द्वारा बताये हुए स्थान पर पहुंच कर नाकाबन्दी कर अपराधियों के आने का इन्तजार करने लगे कुछ समय पश्चात एक मोटरसाईकिल पर दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये जिन्हे रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाईकिल चला रहे व्यक्ति द्वारा तेज गति से मोटरसाईकिल भगाने लगा और पुलिस टीम द्वारा पीछा करने पर मोटरसाईकिल पर पीछे बैठा व्यक्ति पुलिस टीम पर फायर करने लगा। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गयी। मुठभेड के दौरान अभियुक्त विकास सिंह घायल हुआ है जो उपचाराधीन है व दुसरा अभियुक्त गणेश तिवारी पुलिस टीम पर फायर करते हुए खेतों में भाग गया था जिसको काफी खोजबीन एवं प्रयास के बाद गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी। ज्ञात हुआ है कि अभियुक्त विकास सिंह बिहार व उत्तर प्रदेश के कई माफियाओं के सम्पर्क में रहकर पैसे लेकर हत्या व अन्य जघन्य अपराध करता है। इसके विरुद्ध बिहार व उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हत्या व जघन्य अपराध के कई अभियोग पंजीकृत हैं तथा गणेश तिवारी वर्ष 2005 में थाना रामकोला से हत्या के एक मुकदमें में आरोपी है जमानत पर बाहर है और जिसका मुकदमा मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। दौरान मुठभेड एक पुलिसकर्मी भी चोटिल हुआ है जो उपचाराधीन है।

### **\*गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता व आपराधिक इतिहास -\***

#### **\*1.विकास सिंह पुत्र सतेन्द्र पाल सिंह सा0 पिपरपाती थाना लालगंज जनपद बस्ती\***

- 1.मु0अ0सं0 622/13 धारा 394/307/411 भा0द0वि0 थाना खोराबाद जनपद गोरखपुर
- 2.मु0अ0सं0 497/14 धारा 302/120बी /34 भा0द0वि0 व 27 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद सिवान बिहार
- 3.मु0अ0सं0 253/17 धारा 307/494/506 भा0द0वि0 थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ
- 4.मु0अ0सं0 264/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ
- 5.मु0अ0सं0 300/21 धारा 307 भा0द0वि0 थाना रामकोला
- 6.मु0अ0सं0 301/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रामकोला

#### **\*2) गणेश तिवारी पुत्र रामभरोस तिवारी सा0 खैरटवा थाना रामकोला जनपद कुशीनगर\***

- 1.मु0अ0सं0 195/05 धारा 302/307 भा0द0वि0 थाना रामकोला
- 2.एनसीआर नं0 28/21 धारा 323/504 भा0द0वि0 थाना रामकोला
- 3.मु0अ0सं0 300/21 धारा 307 भा0द0वि0 थाना रामकोला
- 4.मु0अ0सं0 302/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रामकोला

**\*बरामदगी का विवरण :-\***

\*अभियुक्त विकास सिंह - एक अदद पिस्टल 32 बोर मय तीन अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर व दो अदद खोखा कारतूस\*

\*अभियुक्त गणेश तिवारी- एक अदद देशी कट्टा 315 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद मोटरसाईकिल एच फ डिलक्स - UP 57 AH लिखा हुआ।\*

**\*गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-\***

1. प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह थाना प्रभारी रामकोला जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 श्री अमित शर्मा - स्वाट प्रभारी जनपद कुशीनगर
3. उ0नि0 श्री संदीप सिंह - थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
4. उ0नि0 श्री मुबारक खा- स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
5. हे0का0 अशोक कुमार सिंह - स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
6. का0 रणजीत यादव - स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
7. का0 संदीप भास्कर - स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
8. का0 सचिन कुमार - स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
9. का0 राघवेन्द्र सिंह - स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
10. का0 शिवानन्द सिंह - स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
11. का0 चन्द्रशेखर यादव - स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
12. हे0का0 रणविजय तिवारी - सर्विलांस सेल जनपद कुशीनगर
13. का0 मनीष तिवारी - थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
14. का0 हिमांशू सिंह - थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

\*नोट- ज्ञातव्य है कि जनपद कुशीनगर पुलिस की सक्रियता से हत्या जैसी जघन्य घटना कारित होने से बच गई। उक्त पुलिस मुठभेद की घटना एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी में सम्मिलित समस्त पुलिस टीम को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर द्वारा 25000/- का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया है।\*

**अवैध शराब ब्रिकी/परिवहन/निष्कर्षण के विरुद्ध कार्यवाही-(02)**

**थाना तुर्कपट्टी-**

थाना तुर्कपट्टी पुलिस टीम द्वारा एक नफर अभियुक्त सीताराम पुत्र पंखी साकिन सपही टडवा थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0-231/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**थाना अहिरौलीबाजार-**

थाना अहिरौलीबाजार पुलिस टीम द्वारा एक नफर अभियुक्त प्रदुम्न साहनी पुत्र काशी साकिन तुर्कडीहा थाना अहिरौलीबाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0-169/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(01)**

**थाना तुर्कपट्टी-**

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना तुर्कपट्टी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 24.09.2021 को खरदरपुल के पास से मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 226/21 धारा 302,323,504,506 IPC से संबंधित वांछित अभियुक्त जयपाल पुत्र मुखलाल साकिन रुदवलिया थाना तुर्कपट्टी जिला कुशीनगर को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त:-**

अभियुक्त जयपाल पुत्र मुखलाल साकिन रुदवलिया थाना तुर्कपट्टी जिला कुशीनगर

**विवरण बरामदगी:-**

आला कत्ल एक अदद लाठी

**गिरफ्तार करने वाली टीम:-**

SHO श्री आनन्द कुमार गुप्ता  
उ0नि0 गिरधारी यादव  
उ0नि0 श्री आकाश गिरी  
का0 का0 अवधेश कुमार  
का0 राहुल कुमार

## \*जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-\*

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा नफर 19 अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

## \*कार्यवाही एक नजर में =\*

1. मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-0, ई-चालान- 84 वाहन।
2. 107/116 में की गयी कार्यवाही-मु0-39, व्यक्ति-108
3. वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(03)
4. आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही मु0-02, अभि0-02, बरामदगी- 20 ली0 कच्ची।
5. जनपद में कुल गिरफ्तारी –(कुल-24)\*

**\*मीडिया सेल\***  
**\*जनपद कुशीनगर\***